न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00068

1. ओमप्रकाश
2. विष्णु पिसरान स्व0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम देवलीकलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती ललता बाई विधवा पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देवली कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. श्रीमती लाडकंवर पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी श्री श्यामसुन्दर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जामुनिया कंडारी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड ।
5. श्रीमती बिन्दा कुमारी पुत्री स्व0 मोहन लाल पत्नी श्री महावीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. हरीश चन्द ।
7. बसन्ती लाल ।
8. बाबूलाल पिसरान स्व0 श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. लालचन्द आत्मज स्व0 हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी रावतभाटा जिला चित्तोडगढ

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शान्ति बाई बेवा चन्द्रप्रकाश गौतम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी चारभुजानाथ राम मंदिर रावतभाटा तहसील रावतभाडा जिला चित्तोडगढ ।
2. बजरंग लाल गौतम आत्मज धनसुख जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. फूलचन्द गौतम ।
4. रामदयाल गौतम पिसरान स्व0 श्री केसरी लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. स्व0 बृजमोहन गौतम आत्मज केसरीलाल जरिये कायममुकामान :–
   5/1. मनोज कुमार ।
   5/2. लोकेश कुमार पिसरान स्व0 बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   5/3. श्रीमती लीला बाई पत्नी सव0 श्री बृजमोहन ।
   5/4. मीना बाई पुत्री स्व0 बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राम कुमार गौतम

7. अशोक गौतम पिसारान स्व0 श्री बख्सु जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. श्रीमती पुष्पा बाई बेवा स्व0 श्री बख्सु जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. राधेश्याम ।
10. प्रभूलाल पिसरान स्व0 श्री कृष्ण गोपाल गौतम जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. चतुर्भुज
12. रामनिवास पिसारान स्व0 धन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बुधखान तहसील रामगंजमण्डी जिला कोआ ।
13. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 से 5/3 की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवली कलां तहसील रामगंजमण्डी में कुल 19 किता की 158 बीघा 07 बिस्वा इसी प्रकार ग्राम खेडली एवं देवली कलां में कुल 04 किता की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 12 के पूर्वजों की पुश्तैनी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 के पूर्वजों से प्रतिवादी कम 13 लगायत 15 के पूर्वजों द्वारा कयशुदा शामलाती खाते एवं पारिवारिक विभाजन अनुसार पृथक–पृथक कब्जे काश्त की आराजी ग्राम खेडली में स्थित है तथा पुश्तैनी आय से प्रतिवादी कम 04 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र हीरालाल दत्तक पुत्र श्री छगन लाल द्वारा कयशुदा आराजी ग्राम देवली कलां में स्थित है । कन्हैयालाल बाल्यावस्था में ही छगनलाल जी द्वारा गोद व प्राकृतिक पिता हीरालाल द्वारा गोद देने के कारण इंतकाल संख्या 15 दिनांक 16.07.58 ग्राम पंचायत चेचट एवं इंतकाल संख्या 1298 दिनांक 17.06.96 तहसील चेचट से सम्पूर्ण आराजी 223 बीघा 06 बिस्वा में छगनलाल के हिस्से के स्थान पर बेवा सुन्दरबाई एवं दत्तक पुत्र कन्हैयालाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया परन्तु स्व0 हीरालाल के फौती

इंतकाल में पुत्र केसरी लाल व धनसुख के साथ पुनः पुत्र कन्हैया लाल का नाम गोद चले जाने के उपरान्त भी राजस्व रिकॉर्ड में गलती से दर्ज हो गया जो वादीगण के काश्तकारी एवं सिविल अधिकारों के विपरीत नल एण्ड वोईड होने से राजस्व रिकॉर्ड में कन्हैया लाल पुत्र हीरालाल के नाम से अंकित गलत अवैध हिस्सा काबिल खारिज है । प्रतिवादी कमांक 04 लगायत 8 के दादा एवं ससुर कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री छगन लाल द्वारा अपने हिस्से में से इंतकाल संख्या 209 दिनांक 23.10.75 से खसरा नम्बर 658 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 08 बीघा 02 बिस्वा आराजी केता लालचन्द पुत्र श्री बैजनाथ ब्राह्मण को विकय करने, प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के पूर्वज बक्शू, कल्याण पुत्र श्री किशनलाल द्वारा इंतकाल संख्या 361 दिनांक 08.06.81 से खसरा नम्बर 480 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा में से 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड बैनाया दिनांक 11.04.89 से विकय करने तथा बक्शू कल्याण द्वारा इंतकाल नं0 136 दिनांक 06.08.72 से खसरा नम्बर 621 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा में से 12 बीघा आराजी विकय करने से विकेतागण के वारिसान के हिस्से में से उक्त बिकीत आराजी कम होकर केतागण के नाम दर्ज हो गई तथा शेष आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक विभाजन एवं आपसी सहमति अनुसार अपने–अपने हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी पर पृथक–पृथक काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी कम 4 लगायत 8 के दादा कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री छगन लाल अपने 1/8 हिस्से में से खसरा नम्बर 658 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 08 बीघा 02 बिस्वा आराजी पूर्व में ही विकय कर देने से उक्त विकीत आराजी केतागण के नाम अंकित हो चुकी है तथा सुन्दरबाई बेवा छगनलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/8 को पूर्व में प्रतिवादी कम 09 एवं प्रतिवादी कम 13, 14, 15 के पिता को विकय कर देने से शामलाती खाता खतौनी संख्या 42 में अलग से दर्ज है तथा केता कृष्णगोपाल की मृत्यु हो जाने से उनके हिस्से की आराजी उनके वारिसान के कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे वादीगण को अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में बैंक ऋण लेने में काफी परेशानी होती है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में गलत नाम एवं गलत हिस्से के आधार पर किसी वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें । दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 फौती इंतकाल या अन्य इंतकाल तस्दीक करवाने में सफल हो जावें तो उसे शून्य घोषित किया जावे।

4. प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.02.2019 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 12 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का सुन्दरबाई एवं कन्हैयालाल द्वारा जो भूमि उनके जीवनकाल में विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय की गई है वह भूमि कन्हैया लाल व सुन्दरबाई के हक तक कम किये जाने का का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । ग्राम खेडली में धूली लाल आत्मज बिरधीलाल के शामलाती खाते एवं कब्जे में विभिन्न खसरा नम्बर की 223 बीघा 06 बिस्वा कृषि स्थित थी । धूली लाल जी के चार पुत्र हीरालाल, छगनलाल, किशनलाल एवं हजारी लाल जी थे । हीरालाल जी की सन् 1946 में मृत्यु हो गयी थी । हीरालाल की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त भूमि उनके तीन पुत्रों केसरीलाल, कन्हैयालाल एवं धनसुख के खाते हक विरासत के आधार पर दर्ज की गई थी । हीरालाल के सगे भाई छगन लाल के कोई पुत्र नहीं होने के कारण हीरालाल की इच्छानुसार हीरालाल की पत्नी शंकरी बाई जो कि कन्हैयालाल की मॉ थी ने कन्हैयालाल को छगनलाल जी एंव उसकी पत्नी सुन्दर बाई को गोद दे दिया था । छगन लाल के स्वर्गवास होने के उपरान्त छगन लाल के हिस्से व खाते की भूमि गोद पुत्र होने से कन्हैयालाल एवं सुन्दर बाई के खाते दर्ज की गई थी । ग्राम देवली कलां की कुल 04 किता की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल जी की स्वअर्जित भूमि थी जिससे केसरीलाल, धनसुख एवं वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 का कोई सम्बन्ध नहीं था । ग्राम देवली कला की उक्त भूमि कन्हैया लाल द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज उनकी पुत्रवधु अपीलान्ट क्रम 03 को हस्तान्तरित कर दी । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं थी । कन्हैया लाल के गोद पिता श्री छगन लाल की मृत्यु होने के उपरान्त उनके हिस्से व खाते की भूमि उनके गोदपुत्र के खाते दर्ज की गई । मृतक हीरालाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से कन्हैयालाल का नाम केसरीलाल एवं धनसुख के साथ सही रूप से नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने हीरालाल के हिस्से की भूमि में से कन्हैया लाल उनके वारिसान प्रतिवादी अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट का दावा अंशतः स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है और हीरालाल के पुत्र के रूप में कन्हैया लाल एवं उनके वारिसान का नाम हटाये जाने का निर्णय त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया है । इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि धूली लाल के 04 पुत्र थे हीरालाल, छगन लाल, किशनलाल एवं हजारी लाल । धूली लाल की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों के नाम यह आराजी दर्ज की गई । हीरालाल की मृत्यु सन् 1946 में हो गई थी । हीरालाल की मृत्यु हो जाने पर आराजी उनके तीनों पुत्रों केसरीलाल, कन्हैया लाल और धनसुख के खाते में दर्ज हुई । हीरालाल के सगे भाई छगन लाल के कोई पुत्र नहीं था । हीरालाल के इच्छानुसार हीरा की पत्नी शंकरी ने कन्हैयालाल को छगन लाल एवं सुन्दरबाई को गोद दिया था । छगनलाल के स्वर्गवास के बाद छगनलाल

के हस्से की आराजी कन्हैया लाल एवं सुन्दरबाई के खाते में दर्ज हुई । हीरा लाल की मृत्यु हो जाने पर जो आराजी कन्हैया लाला में निहित हो गई थी वह गोद जाने से डायवेस्ट नही होगी । त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । देवलीकला की आराजी कन्हैया लाल की स्वअर्जित आराजी थी जिससे केसरी, धनसुख एवं वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं था । यह आराजी पैतृक नहीं है । कन्हैया लाल छगनलाल से प्राप्त आराजी का विक्रय प्रतिवादीगण क्रम 09, 10 एवं 11 को कर चुका है । हीरालाल के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्से की आराजी पर कन्हैया लाल उनके जीवनकाल से निरन्तर काबिज रहा और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट इस पर काबिज बहैसियत खातेदार चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने छगनलाल की मृत्यु सन् 1956 से पूर्व होना मानकर पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हक तय करने में त्रुटि की है । पुश्तैनी जयदाद में जन्म से ही अधिकार होता है । तनकीयात की विवेचना त्रुटिपूर्ण रूप से की है जब हीरालाल एवं छगन लाल की मृत्यु हुई थी तब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जाने की परम्परा नहीं थी । साक्ष्य की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । बिन्दा कुमारी मोहनलाल जी की पुत्री एवं उत्तराधिकारी थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रतिवादी क्रम 16 व 17 के पिता धन्ना लाल ने खसरा नम्बर 121 की रकबा 20 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि चौथमल पुत्र मूलचन्द को बेचान कर दी थी । धन्ना लाल की मृत्यु के बाद चौथमल एवं रामनिवास का 1/8 हिस्से में सहवन से नाम चला आ रहा है । यह आराजी अपीलान्ट क्रम 6 लगायत 9 के खाते में दर्ज होनी चाहिए । प्रदर्श–7 नामान्तरकरण है जो सन् 1958 में खोला गया था इस नामान्तरकरण के अनुसार कन्हैयालाल छगनलाल का गोदपुत्र होने के कारण छगनलाल की आराजी में हक दिया गया था और कन्हैयालाल इस नामान्तरकरण के पूर्व से ही हीरालाल के पुत्र के रूप में सहखातेदार दर्ज है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2020 (एससी) पेज 184, आरआरडी 1998 पेज 400, एआईआर 1987 (एससी) पेज 398 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादी और प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 12 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके पूर्वज धूलीलाल थे । धूलीलाल के 04 पुत्र हुए हीरालाल, किशनलाल, छगनलाल एवं हजारी लाल । हीरालाल के 03 पुत्र हुए केसरीलाल, कन्हैयालाल, धनसुख । कन्हैयालाल को हीरालाल ने अपने जीवनकाल में ही छगनलाल को गोद दे दिया था । इंतकाल संख्या 1298 दिनांक 17.06.1956 से ग्राम पंचायत चेचट और इंतकाल संख्या 15 दिनांक 16.07.1956 से छगनलाल के स्थान पर उनकी बेवा सुन्दरबाई और दत्तक पुत्र कन्हैया लाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया । हीरालाल के फौती इंतकाल में कन्हैयालाल के गोद जाने के बावजूद उनके नाम केसरी एवं धनसुख के साथ दर्ज किये गये जो त्रुटिपूर्ण हैं । कन्हैया लाल एवं सुन्दरबाई ने अपने हिस्से की आंराजी का बेचान कर दिया । शेष आराजी पर कन्हैया लाल व सुन्दर बाई और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कोई कब्जा नहीं है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे हैं । इंतकाल संख्या 1298 से सन् 1956 में कन्हैयालाल को छगनलाल के गोद रखने की प्रविष्टि की गई है । अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि हीरालाल की मृत्यु सन् 1946

में हुई है और हीरालाल की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल छगनलाल के यहॉ गोद गया है । अपीलान्ट ने अपने जवाबदावे एवं साक्ष्य में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है । कानून के अनुसार गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी का भी उल्लेख नहीं किया गया है । कन्हैया लाल को दिनांक 17.06.1956 से पूर्व गोद दिया जा चुका था । हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 दिनांक 22.12.1956 से लागू हुआ है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 17.06.1956 को लागू हुआ है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होगा । ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार कन्हैया लाल को हीरालाल के द्वारा अथवा उनकी मृत्यु के बाद गोद दिया जाना माना जावे तो भी उन्हें गोद से पूर्व प्राप्त सम्पत्ति में अधिकार समाप्त हो जाते हैं । चूँकि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के द्वारा दिनांक 01.02.2016 को यह होल्ड किया जा चुका है कि ओल्ड हिन्दू लॉ कॉ–पार्सनरी सम्पत्ति में गोद चले जाने के बाद गोद गये पुत्र को पुश्तैनी सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होते हैं । कॉ–पार्सनरी सम्पत्ति में जब तक विभाजन नहीं हो जावे तब तक किसी व्यक्ति को एक निश्चित हिस्से का मालिक नहीं माना जा सकता । इस कारण ऐसी सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के गोद चले जाने के बावजूद अधिकार निहित नहीं माने जा सकते । कन्हैया लाल एक ही परिवार में चाचा छगनलाल के यहॉ गोद गये हैं । जब वो गोद गये तब अधिकार अविभाजित थे । विभाजन से पूर्व सहदाय सदस्य एक ही परिवार में दोहरी कॉ–पार्सनरी स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकता । मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के द्वारा दिनाक 21.06.2017 को रणछोड बनाम रामचन्द्र के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि यदि गोद जाने के दिनांक को कॉ–पार्सनरी सम्पत्ति अस्तित्व में थी तो दत्तक गये पुत्र को सम्पत्ति में हक अधिकार निहित नहीं माने जा सकते । धारा 12 बी के प्रावधान गोद जाने से पूर्व प्राप्त पूर्व स्वामित्व व स्वअर्जित सम्पत्ति में ही लागू होते हैं पुश्तैनी सम्पत्ति में नहीं । एआईआर मुम्बई 1992 पेज 189 और एआईआर (एससी) 1988 पेज 845 एवं एआईआर 1987 पेज 398 भी उद्वरत की और कथन किया कि अधीनस्थ न्याालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2018 बहाल रखा जावे ।

10. रिबटल में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि गवाह पीडब्ल्यू–2 ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि हीरालाल की मृत्यु छगनलाल के पूर्व हो चुकी थी । जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि कॉ–पार्सनरी सम्पत्ति में गोद चले जाने के बाद गोद गये पुत्र को पुश्तैनी सम्पत्ति में प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में अधिकार निहित नहीं माना जावेगा, ऐसी कोई प्लीडिंग रेस्पोडेन्टगण की परीक्षण न्यायालय में नहीं थी और न ही इस बाबत् कोई तनकी कायम की गई थी । ऐसी स्थिति में अपील की स्टेज पर उनके द्वारा यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 ग्राम खेडली नया खाता संख्या 42 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 ग्राम खेडली नया खाता संख्या 132 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 ग्राम देवली कलां नया खाता संख्या 09 प्रदर्श–3, नकल नामान्तरकरण संख्या 209 प्रदर्श–4, नकल नामान्तरकरण संख्या 361 प्रदर्श–5, नकल नामान्तरकरण संख्या 136 प्रदर्श– 6, नकल नामान्तरकरण संख्या 15 प्रदर्श–7, असल विक्रय पत्र प्रदर्श–8 जिसके अनुसार सुन्दरबाई ने खाता संख्या 122 में अपने

हिस्से का बेचान किया है, असल विक्रय पत्र प्रदर्श–09 जिसके अनुसार सुन्दरबाई ने ग्राम खेडली के संयुक्त खाता 232 से अपने हिस्से का बेचान किया है, असल विक्रय पत्र प्रदर्श–10 जिसके अनुसार सुन्दरबाई के द्वारा खाता संख्या 238 ग्राम खेडली में अपने हिस्से का बेचान किया है, नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 प्रदर्श–11, नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 नया खाता संख्या 42 प्रदर्श–12, नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 नया खाता संख्या 46 प्रदर्श–13, नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 43 प्रदर्श–14, नकल जमाबन्दी संवत् 2053–56 प्रदर्श–15, नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 44 प्रदर्श– 16 पेश किये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 नया खाता संख्या 47 प्रदर्श–ए–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2049–52 नया खाता संख्या 45 प्रदर्श– ए–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2042–44 नया खाता संख्या 218 प्रदर्श–ए–3 पेश किये गये हैं ।

13. वादी की ओर से बयान रामदयाल पीडब्ल्यू–1, फूलचन्द पीडब्ल्यू–2, बजरंगलाल पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादी की ओर से बयान ओमप्रकाश डीडब्ल्यू–1, बसन्ती लाल डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में वाद वादी अंशतः स्वीकार करते हुए ग्राम खेडली की आराजी में से कन्हैया लाल के हीरालाल के पुत्र के रूप में अंकित नाम हटाया जाकर गोदपुत्र के रूप में दर्ज नाम यथावत रहने दिये जाने का आदेश पारित किया है और पक्षकारों के मध्य होल्डिंग विभाजन का आदेश पारित किया है परन्तु अपने निर्णय में परीक्षण न्यायालय ने सहखातेदारों के हिस्से अंकित नहीं किये हैं जबकि विभाजन के दावे में प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा दर्शाते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जानी अनिवार्य होती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय खाबिक खसरा नम्बरान के साथ पारित किया गया है जबकि रामगंजमण्डी में भू–प्रबन्ध का कार्य हो चुका है और अपील में पक्षकारों ने नवीन खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए संवत् 2074–77 की नकल जमाबन्दी पेश की है । ऐसी स्थिति में यह भी उचित प्रतीत होता है कि हाल खसरा नम्बरान के अनुसार सहखातेदारों के हिस्से तय करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे ।

16. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है वो यह है कि नामान्तरकरण संख्या 15 की नकल प्रदर्श–7 के अनुसार ग्राम पंचायत चेचट में सन् 1958 में छगनलाल की मृत्यु पर सुन्दरबाई और कन्हैयालाल को गोद नवीस अंकित करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । इस नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 17.06.56 का उल्लेख है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 1298 पक्षकारों ने पेश नहीं किया है इस नोट के अनुसार इंतकाल संख्या 1298 दिनांक 17.06.56 को सुन्दर बाई एवं कन्हैया लाला के पक्ष में तस्दीक हुआ है । साथ ही इस नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 05 में सहखातेदारों के रूप में केसरीलाल, धनसुख और कन्हैया लाल पिसरान हीरालाल हिस्सा 1/4 दर्ज हैं । अपीलान्ट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि हीरालाल की मृत्यु सन् 1946 में हो गयी थी परन्तु हीरालाल की मृत्यु पर जो नामान्तरकरण खोला गया है उसकी नकल पेश नहीं की गई है जबकि उसका अवलोकन

किया जाना इस प्रकरण के निर्णय पारित करने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम यह आवश्यक समझते हैं कि पक्षकारान इस प्रकरण में हीरालाल की मृत्यु पर जो नामान्तरकरण खोला गया है वह तथा नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 17.06.56 की नकल पेश करें ताकि पक्षकारों के हक एवं स्वत्व का विधि सम्मत रूप से निर्धारण किया जा सके ।

17. अपीलान्ट के द्वारा अपील मीमो की मद संख्या 24 में यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 121 की 20 बीघा भूमि वाके ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी में स्थित थी उसमें धन्ना लाल का 1/2 हिस्सा, चौथमल पुत्र मूलचन्द को बेचान कर दिया था और उनके वारिस चतुर्भुज और रामनिवास का नाम 1/8 हिस्से में गलत रूप से दर्ज है । इस क्रम में नकल जमाबन्दी प्रदर्श–16 का अवलोकन किया गया जिसमें खसरा नम्बर 121 की रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज है और उसमें से 1/8 हिस्सा चतुर्भुज व रामनिवास का हिस्सा दर्ज है, जबकि अपील मीमो में इसका रकबा 20 बीघा अंकित किया गया है । ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर भी हम पक्षकारों को परीक्षण न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करना उचित समझते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 16, 17 व 18 में किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारों से हीरालाल की मृत्यु पर खोले गये नामान्तरकरण एवं नामान्तरकरण संख्या 1298 की प्रमाणित प्रतियॉ व सेटलमेंट के उपरान्त नये खसरा नम्बरान की नकल जमाबन्दियॉ प्राप्त कर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा तय करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकार अपील के समय जो प्लीडिंग की गई है, उसके बाबत् परीक्षण न्यायालय में आवश्यक समझें तो अपने दावे एवं जवाबदावे में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा